माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :   / 2010 निगरानी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगाँव, जिला छतरपुर
———आवेदक

बनाम

1. विनोद मेहरोत्रा पुत्र श्री राधेश्याम
2. प्रमोद मेहरोत्रा पुत्र श्री राधेश्याम

निवासीगण – बजरंग, कॉक्स डिस्ट्रलरी, रोड नौगाँव, तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)
———प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकित 26 मार्च 1996 पारित द्वारा श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश प्रकरण क्रमांक 13/ए–1/95–96 व उन्वान विनोद आदि विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

श्रीमान न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रत्यर्थीगण द्वारा कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक स्वमेव निगरानी 8/स्व. प्रे. निग./अ–1/93–94 में पारित आदेश दिनांकित 12.01.1995 के विरुद्ध श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 57(2) भूराजस्व संहिता के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी नौगाँव के समक्ष प्रकरण क्रमांक 2/अ–1/91–92 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण ग्राम नौगाँव की भूमि खसरा नम्बर 485 में से रकबा 2.013 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 2046, 2046/1, 2046/2, 2046/3, 2046/4, 2046/5, 2046/6 के रकबा 3.847 हेक्टेयर कुल रकबा 5.860 हेक्टेयर के पूर्वजों के समय से उनके स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं व भू-राजस्व संहिता प्रभावशील होने से पूर्व से बतौर भू–स्वामी आधिपत्यधारी हैं। आवेदन पत्र में यह भी वर्णित किया गया कि प्रत्यर्थीगण को दिनांक 10.02.1992 को इस तथ्य की जानकारी हुई कि भूमि राजस्व अभिलेख में मध्यप्रदेश शासन अंकित दर्ज है। यह भी अभिकथित किया गया कि [illegible] नौगाँव के अभिलेख में [illegible] भूमि [illegible] के नाम से दर्ज नहीं है और [illegible] धारा 57(2) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए बतौर भूमि स्वामी दर्ज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 277–एक/10 जिला – छतरपुर

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 13/ए–1/95–96 में पारित आदेश दिनांक 26–3–1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 09–3–2010 को अर्थात लगभग 14 वर्ष के विलंब से पेश की गई है । 2/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । अनावेदक अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 10 दिवस का समय लिखित बहस के लिए दिया गया था परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 26–3–1996 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी 09–3–10 को अर्थात लगभग 14 वर्ष के विलंब से पेश की गई है । विलंब के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित	

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किया गया है कि विलंब के दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण तथा समाधान कारक कारण दिया जाना आवश्यक है । जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने के आधार पर ही निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण को गुणदोषों पर भी देखा जाये तब भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है क्योंकि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया गया है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1977 आर0एन0 216 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिनांक 2–10–59 को संहिता के लागू होने के समय जिस व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त थे वे यथावत बने रहेंगे अर्थात प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त थे जो बने रहेंगे एवं अनुविभागीय अधिकारी को 57(2) के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा की कार्यवाही अत्यंत विलंब से किए जाने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित किया गया है कि उन्हें वर्ष 1945 में ही भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे और 2–10–59 को संहिता के लागू होने पर वे प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 277–एक/10 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गये थे । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांत 1977 आर0एन0 216 को उद्धरित किया गया है । इस न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिनांक 2–10–59 को संहिता के प्रभावशील होने के समय भूमिधारी या भूमिस्वामी या भ्ज्ञूमि अधिपति के रूप में किसी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त थे वे बने रहेंगे । वर्तमान प्रकरण में संहिता के प्रभावशील होने के समय प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त थे जो बने रहेंगे एवं उसे धारा 57(2) के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी काफी हद तक उचित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा समय रहते कोई भी सक्षम कार्यवाही नहीं की गई ऐसी स्थिति में 20 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जाना अवैधानिक एवं अन्याय पूर्ण है । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के परिवार की भूरही है और विभिन्न न्यायालयों ने भी इसे माना है तथा	

R 277. I/10

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पूर्व में चले स्वमेव निगरानी के प्रकरण अमान्य किए गये हैं । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 26–3–1996 को आदेश पारित करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि का व्यपवर्तन आदेश पारित किया गया है तथा अनावेदकों को प्रश्नाधीन भूमि पर कालोनी के विकास की अनुमति वर्ष 2005 में दी गई है, इसके उपरांत अनावेदकों द्वारा उक्त भूमि पर भूखंड काटे गये हैं एवं वर्ष 2011 में कॉलोनी प्रबंध हेतु नगर पालिका परिषद नौगांव को हस्तांतरित की गई है उक्त समस्त कार्यवाही राजस्व अधिकारियों की देखरेख में हुई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 13/ए–1/95–96 में पारित आदेश दिनांक 26–3–1996 स्थिर रखा जाता है ।

पक्षकार को सूचना दी जाये तथा अभिलेख वापिस किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर